न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 48 / 2020 रा.वा.

उनवान

1. श्री मावला पिता मन्ना, जाति मीणा, उम्र बालिग
2. श्री होमला पिता मन्ना, जाति मीणा, उम्र बालिग
3. श्रीमती मोती पत्नि मन्ना जाति मीणा, उम्र बालिग
4. श्री हरजा पिता गोयन्दा, जाति मीणा, उम्र बालिग
5. श्री लालिया पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
6. गोता पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
7. काना पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
8. गोमी पत्नि लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग

निवासीयान ओरवाडिया मीनवाडा फला, तह. सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

विरूद्ध

1. धुला पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
2. शंकर पिता भीमा मीणा, जाति भागा, उम्र बालिग
3. रूपा पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
4. अमरा पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
5. लिम्बा पिता भेरा मीणा, जाति मीजा, उम्र बालिग

निवासीयान ओरवाडिया, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

कलेक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 05/08/2024

उपस्थितः— श्री प्रकाश कुमार चौबिसा—अधिवक्ता वादीगण
एक पक्षीय — प्रतिवादीगण

::निर्णय::

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य निंम्न है कि वादी की काश्तकारी भूमि मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया भू.अ.नि. करावली तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075—2078 की खाता संख्या नया 371 पुराना 371 आराजी नम्बर 755 रकबा 0.8500 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.8500 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व स्वामित्व नही है। उक्त तमाम प्रतिवादीगण मिलकर वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त नही करने देते है एवं फसल नष्ट कर देते है। प्रतिवादीगण आय दिन वादीगण की उक्त

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर.

भूमि पर बनी कोट बाउण्ड्री, बाड को तोड देते है एवं जबरन पशु डालकर वादीगण की खडी फसल व चारा को नुकसान कारित करते है। जिससे मजबुर होकर करीब 15 दिन पूर्व वादीगणो के साथ मारपीट होने पर पुलिस थाना गींगला में रिपोर्ट दी प्रतिवादीगणों को पाबन्द किया गया इसके बावजुद पुनः दिनांक 29–09–2020 को अभियुक्तगणों ने वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया तथा मना करने पर वादीगणों एवं उनके परिजनों के साथ मारपीट की। जिससे वादीगण को मजबुर होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना पडा है एवं अन्त में निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया भू.अ.नि. करावली तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 371 पुराना 371 आराजी नम्बर 755 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीलाल मीणा ने वकालतनाम पेश किया एवं उसके पश्चात कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नही किया तथा आदेशिका दिनांक 09–03–2022 को अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नही किया इसलिये पत्रावली मे तनकीयात नही बनाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे निम्न दस्तावेजी सिबूत पेश किये खाते की नकल प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 371 पेश किया तथा गवाह वादी मावला स्वयम का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये।

पत्रावली मे वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस करते हुए वादपत्र को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादीगण वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जबकी प्रतिवादीगण के द्वारा बार–बार काश्त के समय संख्या मे अधिक होने के कारण वादी से मौके पर झगडा करते रहते है एवं फसन नष्ट कर देते है तथा वादी की जमीन पर वादी का कब्जा हटाने का प्रयास करते है इसलिये वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद डिक्री किया जावे।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादी गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। राजस्व जमाबंदी मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया भू.अ.नि. करावली तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 371 पुराना 371 आराजी नम्बर 755 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण के नाम दर्ज अंकित है। वादीगण वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया भू.अ.नि. करावली तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 371 पुराना 371 आराजी नम्बर 755 रकबा 0.8500 हैक्टेयर वादीगण के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

दस्तनदाजी नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 48 / 2020 रा.वा.

उनवान

1. श्री मावला पिता मन्ना, जाति मीणा, उम्र बालिग
2. श्री हीमला पिता मन्ना, जाति मीणा, उम्र बालिग
3. श्रीमती मोती पत्नि मन्ना जाति मीणा, उम्र बालिग
4. श्री हरजा पिता गोयन्दा, जाति मीणा, उम्र बालिग
5. श्री लालिया पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
6. गोता पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
7. काना पिता लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग
8. गोमी पत्नि लखमा, जाति मीणा, उम्र बालिग

निवासीयान ओरवाडिया मीनवाडा फला, तह. सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीगण

विरूद्ध

1. धुला पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
2. शंकर पिता भीमा मीणा, जाति भागा, उम्र बालिग
3. रूपा पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
4. अमरा पिता भीमा मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग
5. लिम्बा पिता भेरा मीणा, जाति मीजा, उम्र बालिग

निवासीयान ओरवाडिया, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश कुमार चौबिसा एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 05/08/24 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया भू.अ.नि. करावली तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत 2075–2078 की खाता संख्या नया 371 पुराना 371 आराजी नम्बर 755 रकबा 0.8500 हैक्टेयर वादीगण के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनांक 05/08/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर